

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- BRRDA(HQ)-MMGSY-444/21

1214

/पटना, दिनांक- 7/2/23

प्रेषक,

ई० कृष्णा प्रसाद,
नोडल पदाधिकारी, MMGSY

सेवा में,

परियोजना प्रबंधक,
राज्य योजना, ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया के अधीन एन०एच०-31 से रामचक पथ के निर्माण के संबंध में।

प्रसंग :- (i) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया का पत्रांक-846 अनु०, दिनांक-22.06.2023 एवं (ii) गै०स०प्रे०स०-47 अनु०, दिनांक-11.04.2022।

महाशय,

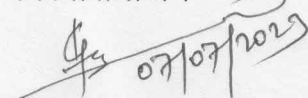
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र (i) के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित पथ के निर्माण कार्य के संदर्भ में बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना की अगली सुनवाई दिनांक-07.08.2023 को निर्धारित है। साथ ही उनके द्वारा विषयांकित पथ की प्रशासनिक स्वीकृति अगली सुनवाई की तिथि से पूर्व प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक-1559 अनु०, दिनांक-31.05.2023 द्वारा विषयांकित पथ का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

पूर्व में मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक-4370 अनु०, दिनांक-04.12.2021 के माध्यम से भी उपर्युक्त पथ का प्राक्कलन उपलब्ध करायी गयी थी, जिसे माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा राज्य योजना से निर्माण कराये जाने के आदेश के आलोक में गै०स०प्रे०स०-47 अनु०, दिनांक-11.04.2022 के माध्यम से माननीय विभागीय मंत्री महोदय के आदेश की छायाप्रति के साथ प्राक्कलन अग्रेतर कार्रवाई हेतु आपको उपलब्ध करायी गयी थी।

प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति एवं मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक-1559 अनु०, दिनांक-31.05.2023 से प्राप्त डी०पी०आर० अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(कृष्णा प्रसाद)

नोडल पदाधिकारी,

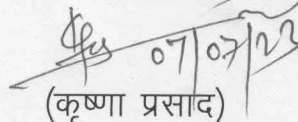
MMGSY

ज्ञापांक :- BRRDA(HQ)-MMGSY-444/21

1214

/पटना, दिनांक- 7/2/23

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया को सूचनार्थ प्रेषित।


(कृष्णा प्रसाद)

मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक:- 1559/2023
प्रेषक,

/पटना, दिनांक:- 31.05.23

ई0 अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
मुख्य अभियंता-2

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
MMGISY (NDB BRICS)
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय-शीर्ष MMGISY (NDB BRICS) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, नवगछिया से संबंधित योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, भागलपुर का पत्रांक-443 अनु0 दिनांक 18.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया

1948

21/6/23

के अधीन शीर्ष MMGISY (NDB BRICS) अन्तर्गत निम्नलिखित योजना का डी0पी0आर0 समर्पित किया गया है, जिसे तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संलग्न कर समर्पित किया जाता है:-

योजना का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	तकनीकी अनुमोदन की राशि, निर्माण कार्य एवं पॉच वर्षीय संपोषण सहित (रु0 लाख में)
1 Construction of Road from NH-31 to Ramuchak	0.600	153.270

अनु0-यथाकथित।



विश्वासभाजन
(Signature)
मुख्य अभियंता-2

उपरी उल्लेखित
नमूना
(Signature)
21/6/23

Receive mail
m 3/6/23

22

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया

Email Id-eeनावgachhiya@gmail.com

पत्रांक :- 846/3130 नवगछिया,

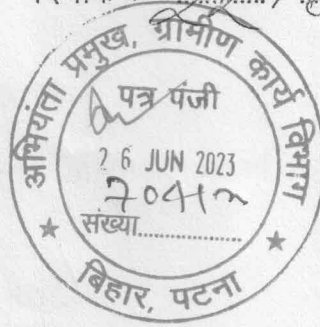
दिनांक :- 22/06/2023

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नवगछिया।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
MMGSY(NDB-BRICS)
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।



विषय :- NH-31 To Ramuchak पथ निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के पत्रांक-BHRC/Case File No.-2450/4/5/2021-6369 पटना, दिनांक-20.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि NH-31 To Ramuchak पथ निर्माण बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के परिवाद से संबंधित है।

“अधोहस्ताक्षरी को राज्य आयोग के आदेश के प्रति कोई सम्मान नहीं है” के कारण अगली सुनवाई की तिथि-07.08.2023 तक परिवाद के निर्णय पर कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं होने से बाध्य होकर धारा-13 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत कार्रवाई की जा सकती है (छायाप्रति संलग्न)।

परिवाद के निर्णय के आलोक में पथ निर्माण हेतु प्राक्कलन उचित माध्यम से मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1559 अनु० दिनांक-31.05.2023 द्वारा आपके कार्यालय में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित है।

अतः अनुरोध है कि बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के सुनवाई निर्धारित तिथि-07.08.2023 के पूर्व “NH-31 To Ramuchak” पथ का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि अधोहस्ताक्षरी धारा-13 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई से मुक्त हो सके।

अनुमति के लिये।

विश्वासभाजन

-80/-

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नवगछिया।

ज्ञापक :- 846/3130 नवगछिया,

दिनांक-22/06/2023

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि अपने स्तर से शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

म. नि. ग. वि. अ. ए.
Urgent
Neer
27/06/2023

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नवगछिया।

बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड, पटना

पत्रांक :- BHRC/Case/File No.2450/4/5/2021 6369

पटना दिनांक 25/4/2023

प्रेषक,

महेश कुमार दास
उप सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नवगछिया।

विषय : श्री भलट मुनि एवं अन्य, ग्राम रामचक बलाहा, पो0 बलहा
भाया नारायणपुर, पंचायत जयपुर जूहर पूरब, प्रखंड नारायणपुर,
जिला भागलपुर से प्राप्त परिवाद पत्र पर प्रतिवेदन उपलब्ध
कराने के संबंध में।

प्रसंग : भवदीय पत्रांक 377/अनु0 दिनांक 14.03.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में
आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2023 की प्रति आवश्यक
क्रियार्थ संलग्न है।

तदनुसार अनुरोध है कि वांछित अद्यतन प्रतिवेदन दिनांक 07.
08.2023 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। अन्यथा बाध्य होकर
धारा 13 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती
है। पत्राचार करते समय फाईल नं0 BHRC/Case/File No.2450/4/5/2021 अवश्य
अंकित करें।

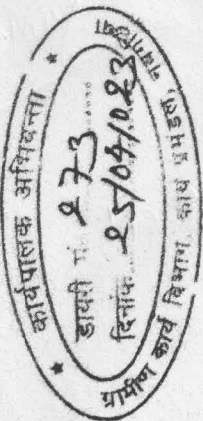
कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु:- आयोग के आदेश दिनांक 23.03.2023 की प्रति।

विश्वासभाजन

(महेश कुमार दास)

उप सचिव
5/4/23



दिनांक-23.03.2023

दिनांक-23.12.2022 के आदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया का प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके अनुसार Status पूर्ववत रहने की सूचना दी गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया के द्वारा राज्य आयोग के आदेश के प्रति कोई सम्मान नहीं है और कोई भी कार्रवाई आदेश के आलोक में नहीं की गई है।

अतः कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया को पुनः अगली तिथि तक अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का अवसर दिया जाता है, अन्यथा बाध्य होकर धारा-13 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक-14.08.2023 को प्रतिवेदन एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

3/3

मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

/पटना, दिनांक- 31.05.23

पत्रांक- 1559/अड०

प्रेषक,

ई० अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
मुख्य अभियंता-2

सेवा में,

मोडल पदाधिकारी

Ministry (NDB-BRICS)

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय-शीर्ष Ministry (NDB-BRICS) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, नवगछिया से संबंधित योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग अधीक्षण अभियंता, ग्रा०का०वि०, कार्य अंचल, भागलपुर का पत्रांक-443 अनु० दिनांक 18.05.2023

महाराज,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया के अधीन शीर्ष Ministry (NDB-BRICS) अन्तर्गत निम्नलिखित योजना का डी०पी०आर० समर्पित किया गया है, जिसे तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संलग्न कर समर्पित किया जाता है:-

क्र०	योजना का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	तकनीकी अनुमोदन की राशि, निर्माण कार्य एवं पोंच वर्षीय संपोषण सहित (रु० लाख में)
1	Construction of Road from NH-31 to Ramuchak	0.600	153.270

अनु०-यथाकथित।

विश्वासमाजन

(Signature)

मुख्य अभियंता-2

हस्तांक- 1559 पटना, दिनांक- 31.05.23

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया को सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)

मुख्य अभियंता-2

पीत पत्र के बदले में

परियोजना प्रबंधक,
राज्य योजना, ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया के अधीन एन0एच0-31 से रामूचक पथ के निर्माण के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-4370 अनु0, दिनांक-04.12.2021।

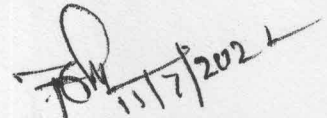
उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से कार्य प्रमंडल-नवगछिया के अधीन एन0एच0-31 से रामूचक पथ का प्राक्कलन मानवाधिकार द्वारा निर्गत आदेश के अलोक में तकनीकी अनुमोदनोपरांत अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी गयी है। राज्य कोर-नेटवर्क के CNCPL/CUPL में नहीं रहने के कारण विषयांकित योजना का निर्माण राज्य योजना से कराये जाने के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका सं0- BRRDA(HQ)MMGSY-444/21 के पृ0-06/टि0 पर प्राप्त है।

उपरोक्त आलोक में प्रासंगिक पत्र से प्राप्त डी0पी0आर0 एवं उपर्युक्त संचिका में माननीय मंत्री महोदय के आदेश की छायाप्रति इस पत्र के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनु0-यथोक्त।

गैस.प्र.स. - 47223-

मिलि - 11.7.22



(नलिन कुमार सिन्हा)
अधीक्षण अभियंता-सह-
परियोजना प्रबंधक, MMGSY

o/c